अति तत्काल

आर टी आई मामला

सं. 14036/398/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 31/05/ 2013

सेवा में

अनंत श्री स्वामी अमृतानन्द देवतीर्थ,
शंकराचार्य, सर्वज्ञ शारदा पीठ,
कश्मीर (जे एवं के) उच्च सुरक्षा कक्ष,
मध्यवर्ती कारागार तलोजा, खारघर,
नवीं मुंबई-410210

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 24.04.2013 का आवेदन।**

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 21.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. बिन्दु सं. 7 के संबंध में : आपका आर टी आई आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित बिन्दु के उत्तर हेतु दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में, गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

Issued with encl. 1627 19/6.

भवदीया,

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

प्रति प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में जमा करा दिया है।

RTI Act 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन

पत्रांक :- HHJS - 394/RTI- C-II-6/ TCP- 2013 , दिनांक :- 24.04.2013

U.N. No.-40257
615/RTI/13
6/5/13

(1) CBI, (2) CVC, (3) MHA, (4) UP.
(5) Sh. S. C. Shaw, US (Coord.)
(6) Sh. AK Singh, US (AVD-I)
(7) Sh. Anurag Sharma US (AVD-I)
(8) Sh. M. P. Rama Rao US (AVD-V)
(9) Sh. Rajiv Jain US (AVD-II)
(10) Sh. M. M. Maurya US (AVD-III)
(11) Sh. Narendra Gautam US (AIS-I)

संवार्थ,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001

[आवेदक का नाम व पत्ता]

अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ , शंकराचार्य , सर्वज्ञ शारदा पीठ,कश्मीर (J&K)
उच्च सुरक्षा कक्ष , मध्यवर्ती कारागार तलोजा, खारघर,नवी मुंबई - ४१०२१०

[सूचना से संबंधित विषय एवं कालावधि]

प्रश्न के अनुसार,

[क्या सूचना चाहिए ?]

1- कृपया का० लोक शि०, तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन / पर्यवेक्षण मे पूर्ण व आंशिक आर्थिक सहयोग से या किसी भी प्रकार के सहयोग से संचालित सभी विभागों / बोर्ड / परिषद / निगम / प्राधिकरण / आयोग / स्वायत्त शासी, सरकारी, अर्द्धसरकारी, एवं गैर सरकारी संगठनों (NGO) के नाम, पते, कर्तव्य व दायित्वों का विस्तृत विवरण, उनके प्रमुखों के नाम, कार्यकाल अवधि, एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि का विवरण उपलब्ध कराएं।

2- कृपया बताएं कि CBI, CVC या अन्य कौन सी एजेंसी भारत सरकार के किस स्तर के अधिकारी के विरुद्ध संघ सरकार की अनुमति के बिना अभियोग (न्यायालय में या कहीं भी) नहीं चला सकती ? एवं इस विषय में -

(अ)- मार्च 2013 तक किस एजेंसी द्वारा, भारत सरकार के किन अधिकारियों पर किस कानून के अंतर्गत अभियोग चलाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को अनुरोध किया गया ?

(i)- इनमें कितने अनुरोध, कब स्वीकृत किए गए ?

(ii)- कितने अनुरोध, किस के विरुद्ध, कब से भारत सरकार के पास, क्यों लंबित (pending) है ?

PTO →

6 - क्या अब तक किसी भी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को गलत तरीके से आरोपी बनाए जाने, झूठे साक्ष्य गढ़ने, प्रताड़ित करने व हिरासत में मृत्यु के लिए CBI पर केस करने या जुर्माना लगाने पीड़ित व्यक्ति / परिवार को मुआवजा देने संबंधित कोई आदेश दिय गया? यदि हां तो ऐसे सभी केसों का विस्तृत विवरण, आदेश की तिथि एवं उसके अनुपालन में की गयी हर कार्यवाही का विव० उपलब्ध कराएं।

7 - कृपया दिल्ली पुलिस (दंड एवं अपील) नियम 1980 की एक प्र उपलब्ध कराएं एवं बताएं कि क्या CBI भी इसी नियम से शासि है? यदि हां तो देश के अन्य जांच एवं सुरक्षा व गुप्तचर एजेंसियां किस नियम से शासित है? उस नियम / नियमों की प्रति उपलब्ध कराएं।

8 - कृपया बताएं कि देश के किन नेताओं / अधिकारियों के खिला भ्रष्टाचार, योजनाओं में अनियमितता, आय से अधिक संपत्ति या किसी भी गंभीर आरोप की जांच CBI कब से कर रही है एवं कब तक पूरी होने की संभावना है?

9 - कृपया बताएं कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संवर्ग (IAS, IP IFS, IRS, IES आदि) की कुल कितनी परीक्षाएं संचालित की जाती हैं तथा इनमें चयन के पश्चात कितने समय के लिए क्या प्रशिक्षण दिए जाते है? कहां एवं किसके द्वारा? पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।

नोट - कृपया उपरोक्त किसी भी सूचना हेतु किसी वेबसाईट का संदर्भ न दे क्योंकि कारागार में **internet** का प्रयोग संभव नही, अतः लिखित/मुद्रित सूचना ही भेंजे तथा यदि कोई सूचना या उसका भाग आपसे संबंधित न हो तो उसे **RTI Act** की धारा ६(३) अंतगर्त संबंधित विभाग को अंतरित कर मुझे सूचित कर दे. ।

कृपया सूचना स्पीड पोस्ट/रजि.पो.से ही भेजें.

संलग्न :- **RTI Act** में निर्धारित शुल्क रु.१०/- का भारतीय पोस्ट आर्डर क्रं. 13F 943822
प्राप्तकर्ता का उचित नाम भरने की कृपा करें।

दिनांक :- 24.04.2013

स्थान :- तलोजा मध्यवर्ती कारागार

(आवेदक के हस्ताक्षर)

25/4/13

(ब) - स्वयं CBI के कितने कर्मियों / अधिकारियों के विरुद्ध अब तक किसके द्वारा, क्या व किस प्रकार के आरोप लगाए गये है ? एवं इन आरोपों के कारण -

(i) - कितनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(ii) - कितने निलंबित या बर्खास्त किए गए ?

(iii) - कितने जेल गए या सजा हुई ?

कृपया उपरोक्त प्रश्नों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं एवं यही सूचना CVC के संदर्भ में भी दें।

3 - कृपया उन सभी संवैधानिक व प्रशासनिक नियमों तथा सेवा शर्तों या किसी भी कारणों का विवरण दें जिससे देश का आम नागरिक CBI, CVC आदि एजेंसियों की निष्पक्ष एवं सरकारी दबाव से मुक्त कार्यप्रणाली के विषय में स्वयं को आश्वस्त कर सके ?

4 - कृपया बताएं कि अब तक CBI द्वारा किन एवं कितने मामलों में मा० न्यायालय में (किसी भी न्यायालय में) मामले (case) को बंद करने की closer report लगायी गयी ? उनमें से कितनी रिपोर्ट मा० न्यायलयों द्वारा स्वीकृत की गयी ? एवं कौन सी रिपोर्टें किस आधार पर स्वीकृत नहीं की गयीं ? कृपया ओट्टावियो क्वात्रोची, भोपाल गैस कांड के अभियुक्तों, एवं 1984 सिख नरसंहार के दोषियों के विरुद्ध न्यायलयों में CBI द्वारा लगायी गयी closer Reports की एक प्रति उपलब्ध कराएं।

5 - कृपया बताएं कि समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव - 200[illegible] व मक्का मस्जिद (हैदराबाद) - 2007 विस्फोट में CBI द्वारा आरोपी बनाए गये आरोपियों को NIA द्वारा निर्दोष बताए जाने के बाद CBI के किन अधिकारियों / कर्मियों के विरुद्ध किन धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा ? एवं कब तक ? (कानून के अनुसार)